To,

Dated: 30th August, 2022

Listing Department
Bombay Stock Exchange
Floor 1, Phiroze Jeejeeboy Towers
Dalal Street
Mumbai-400 001

Ref: SEA TV NETWORK LIMITED

Security Code: 533268 Security ID: SEA TV

Dear Sir/ Ma'am

Subject: Submission under Regulation 30 read with Schedule III and under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

We are enclosing herewith the copies of newspapers advertisement published as on 24th August 2022 in "The Financial Express" and in "Hindustan", regarding the Notice of 18th Annual General Meeting of the Company for the financial year 2021-22 and information regarding Book Closure, Cut-off Date and E-Voting in respect of the said AGM.

We request you to take the same on your records.
Thanks & Regards
Yours faithfully,

For SEA TV NETWORK LIMITED

For Sea TV Network Limited
Company Secretary

SNEHAL AGARWAL
(Company Secretary & Compliance officer)

Encl: As Above

MINISTRIES OWE IT ₹2,900 CR

FCI again avails short-term loans, raises ₹22,000 cr

Delayed release of subsidy forces the corporation to resume practice which was halted in FY22

SANDIP DAS
New Delhi, August 23

THE FOOD CORPORATION of India (FCI) has availed short term loan of ₹22,000 crore in the current fiscal to finance its operations due to inadequate provisioning of the food security expenses by the finance ministry.Sources told FE that against expenses of more than ₹75,000 crore in the current fiscal, the finance ministry has allocated around ₹52,000 crore under the food subsidy budget till now. In the current month, ministry has not allocated any funds under food security expenses to the FCI.

The corporation has been relatively comfortable with its cash position in FY22 as the government promptly released food subsidy amounts, after ending practice of taking National Small Saving Fund (NSSF) loans for subsidy financing in the FY22 Budget for the sake of budgetary transparency.

The Corporation could go for seeking more short-term loans, if the ministry doesn't release funds soon. It has already got a loan amount of ₹75,000 crore sanctioned by banks.

The ministry has also provided ₹10,000 crore in the current fiscal as wage and means advances, which is adjusted against the food subsidy budget by the end of the fiscal.

FCI avails short-term loans, which are of 90 days' duration, from scheduled banks to address cash flow mismatches because of inadequate release of food subsidy by the finance ministry.

- Against expenses of more than ₹75,000 cr in the current fiscal, the finance ministry has allocated ₹52,000 cr under food subsidy budget till now
- The FCI could seek more short-term loans, if the ministry doesn't release funds soon. It has got a loan amount of ₹75,000 cr sanctioned by banks.

Raising more short-term loans would have pushed up FCI's expenses because of higher interest outflow. These short-term loans carry an interest rate in the range of 3.85 - 5.5% per annum. Meanwhile, several ministries such as rural development, education and external affairs have pending dues payment of around ₹2,900 crore to FCI against the grain supplied for various social welfare schemes.

For 2022-23, the central government has allocated ₹2.06 trillion for food subsidy expenses, of which ₹1.45 trillion or 71% is provided to FCI. Rest of the food subsidy is directly routed to states who follow a decentralised procurement system.

However, following the extension of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana till September 30, an additional ₹80,000 crore (₹56,000 crore through FCI) will be spent under the food subsidy budget.

Need a debate on freebies, welfare schemes: SC

FE BUREAU
New Delhi, August 23

THE SUPREME COURT on Tuesday said it was not against any government policy or scheme but reiterated the need to have a debate on differentiating between freebies and welfare schemes.

A Bench led by Chief Justice NV Ramana said the definition of freebies cannot be a water-tight compartment as some state had given bicycles to poor and women that improved their lifestyle.

"The problem is which is freebie that can be said to be beneficial for the upliftment of a person. For a rural person struck by poverty, his livelihood may depend on that small boat or bicycle," the bench said.

"Definition of freebies cannot be a water-tight compartment. Look at housing boards houses for the poor. Some states are giving cycles. Toddy tappers are given equipment. Likewise assistance for fishermen. These are functions of a welfare state...it must be determined whether a promise qualifies as a welfare measure or a freebie," he observed.

The Chief Justice asked if a law rolled out by the Centre prohibiting 'freebies' would be open to judicial scrutiny.

"We are not against any government policy. We are not against any scheme. Tomorrow, if the Government of India makes a law that states should not make freebies...can we say that government can say whatever and we cannot look into it? In the interest of both welfare of people and the economy, we started looking into this issue. Now a debate has to take place and a committee has to be set up," the CJI said, adding that the complex nature of the issue needs to be dealt through a system and not politically.

Solicitor General Tushar Mehta told the SC that nobody had an issue with social welfare measures, but difficulty arises when a party distributed non-essentials such as sarees, television sets etc. The voter has a right to make an informed choice and false promises which the finances do not permit would entail disastrous economic consequences, he added.

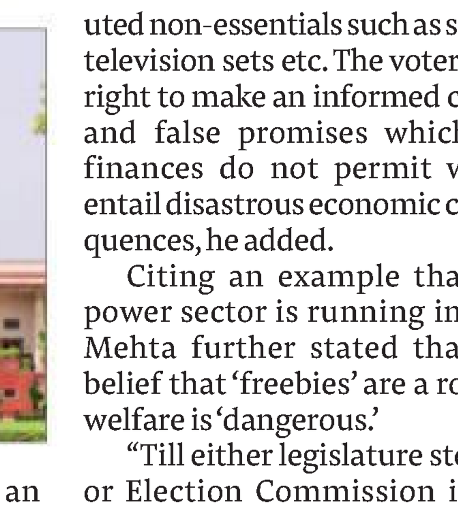

Citing an example that the power sector is running in loss, Mehta further stated that the belief that 'freebies' are a road to welfare is 'dangerous.'

"Till either legislature steps in or Election Commission issues directives, the SC must lay down 'dos and don'ts' for political parties in the larger national interest," he suggested.

The Bench also asked why can't the Election Commission of India regulate the 'promises' made by political parties during elections. Once the election code starts, everything is under control of EC.

I, it said, adding that it must take an 'active role in ending freebies mentioned in the election manifestos.

Sea TV Network Ltd.
Regd. Office: 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010
Tel: +91-562-4036666 Fax: +91-562-4036666
Website: www.seatvnetwork.com
CIN : L92132UP2004PLC028650

NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 24th, 2022 at 03:30 P.M. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ other Audio Visual Means Facility in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and read with all circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitted to convening the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") to transact the business mentioned in the Notice of AGM without the physical presence of the shareholders at the common venue.

Incompliance with the aforesaid circular, the AGM notice and the Annual Report of the company for the Financial year 2021-2022 will be sent by email to those shareholders whose email Id is registered with the company/Registrar and share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited/Depository Participants. The said Annual Report including the notice of AGM is also available on the website of the company at www.seatvnetwork.com, and on the website of M/s Link Intime India Private Limited https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and as per Regulation 44 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchanges, the Company is providing electronic voting ("e-Voting") facility to members to enable them to cast their votes on all the resolutions as set out in the notice of AGM by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e voting). The company will also provide the facility of e voting to shareholders during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The company has entered into an arrangement with Link Intime for providing the remote e-voting and e-voting during an AGM.

In terms of section 91 of the act, rules made thereunder and regulations 42 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing regulation) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th September 2022 to Saturday, 24th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM.

The Company has appointed Mr. Amit Gupta, Practicing Company Secretary as the scrutiniser to scrutinise the e-voting process in fair and transparent manner. The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM will be declared with 48 hours from the conclusion of the AGM. The results so declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.seatvnetwork.com and Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in.

In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: - Tel: 022 –4918 6000

Place : Agra
Date: 22nd August, 2022

By Order of the Board
For, Sea TV Network Ltd.
Sd/-
SNEHAL AGARWAL
(Company Secretary & Compliance Officer)

Domestic oil output declines 3.8% in July

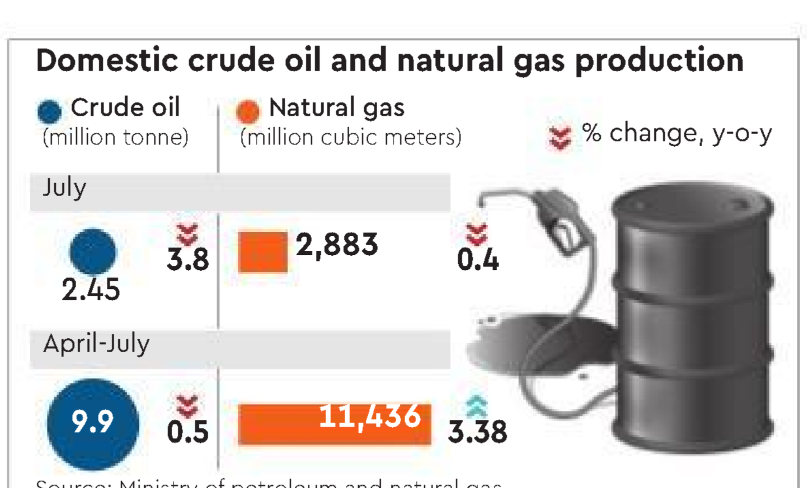

FE BUREAU
New Delhi, August 23

THE DOMESTIC PRODUCTION of crude oil fell 3.8% while gas output remained near static in July over the same month a year ago to stand at 2.45 million tonne (MT) and 2,883 million cubic metre (mcm), respectively. Targets have been missed in the production of both the products. Data released by the ministry of petroleum and natural gas showed that in July, crude oil production fell from oilfields operated by state-run ONGC by 1.7% to 1.6 MT. Production from fields operated by the private sector fell even sharper by 12.34% to 0.5 MT.

Oil India's production, however, was higher by 4.12% at 0.26 MT. The government said OIL could have produced more had there been no loss due to miscreant activities in the MPA. Less than planned contribution from workover wells also impacted the production.

CENTRAL RAILWAY
SLIDING DOOR FOR AUTOMOBILE CARRIER COACH
Tender Notice No. CWE/MTN/85225704/2022
Tender No. 85225704 **Item Description:** Support complete for sliding door for automobile carrier coach with side entry (LH Qty.150 Nos.) & (RH Qty. 150 Nos.) as per Drg No. RDSO/CG/DRG/21015. **Quantity:** 300 Nos. **Due date for opening:** 12-09-2022. Complete details of tender are available at Central Railway Official website **www.ireps.gov.in**. The complete documents can be downloaded from the website. 404
RailMadad Helpline 139

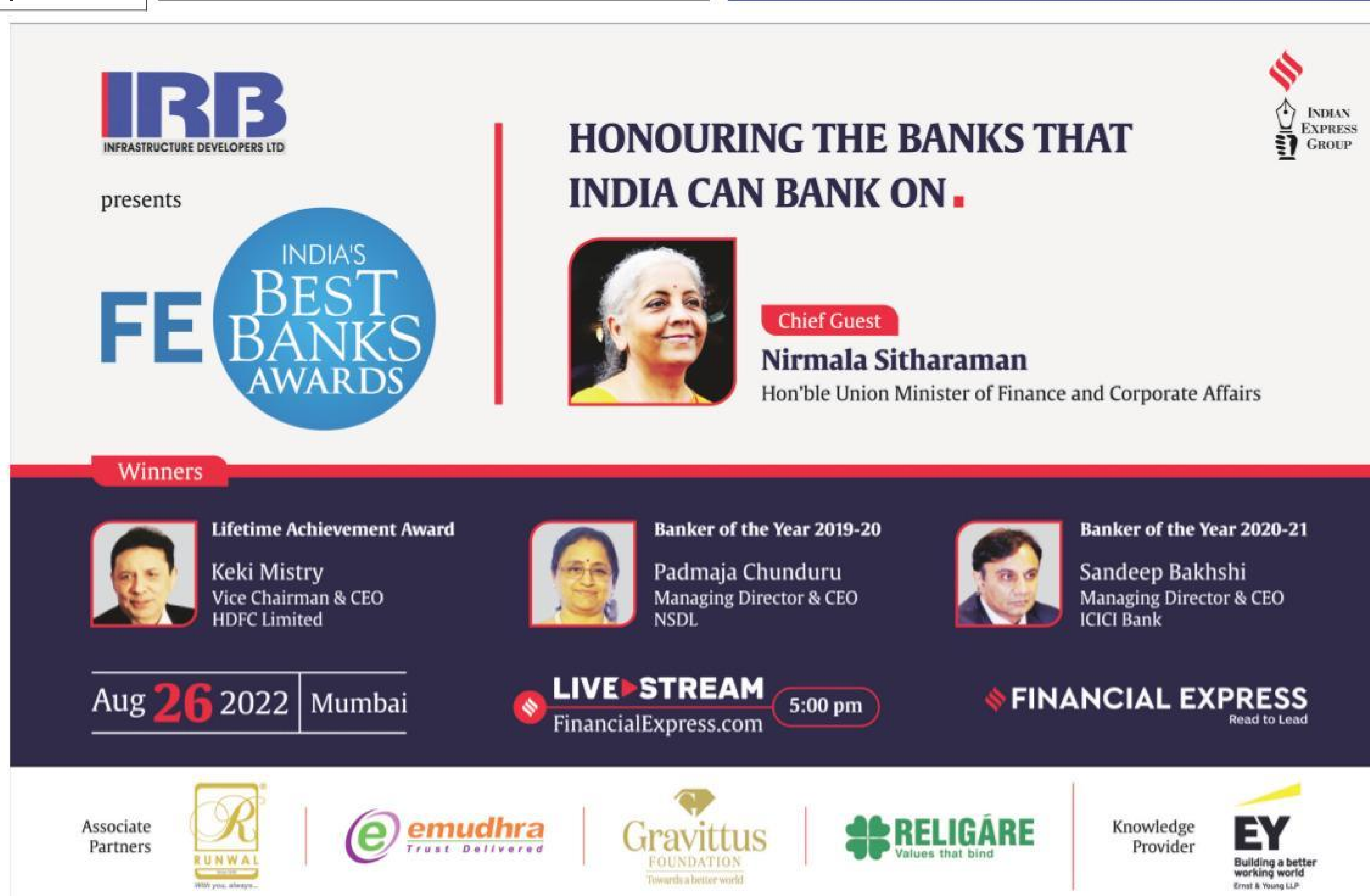

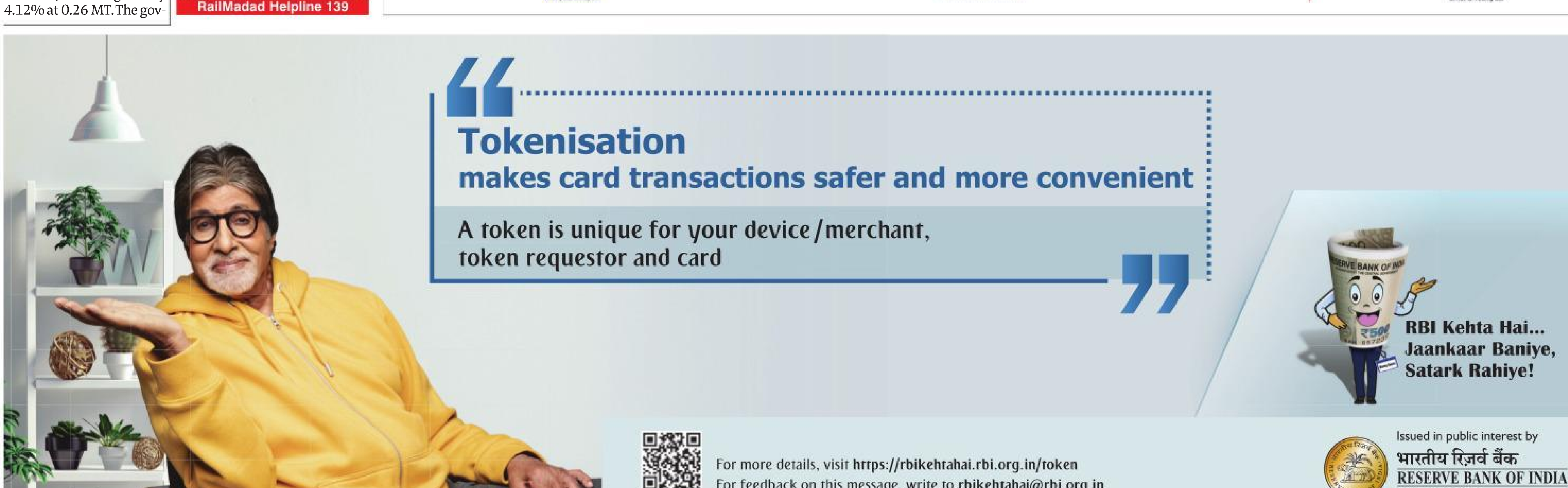

कासगंज और बरेली के जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के बाहर लगा नोटिस, यहां नहीं हैं विशेषज्ञ डॉक्टर

यूपी में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जिला अस्पताल 'बीमार'

पड़ताल

■ पीयूष उपाध्याय

बरेली। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भारी कमी से पूरे प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। अधिकांश जिलों के सरकारी अस्पतालों में कई गंभीर रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टर ही नहीं हैं। पूरे प्रदेश में विशेषज्ञ डॉक्टरों के करीब 70 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं। ऐसे में सरकारी अस्पताल गंभीर मरीजों के लिए महज रेफरल यूनिट बनकर रह गए हैं। बरेली के महाराणा प्रताप संयुक्त जिला अस्पताल में तो बाकायदा नोटिस लगा दिया गया है कि यहां कई गंभीर बीमारियों के विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं। ऐसा ही नोटिस कासगंज के जिला अस्पताल में भी चस्पा है।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार लगातार चिकित्सा सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर जोर दे रही है। नए मेडिकल कॉलेज, सुपरस्पेशिलिटी अस्पताल से लेकर सीएचसी-पीएचसी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। व्यवस्था को बेहतर करने में विशेषज्ञ चिकित्सकों का संकट इसके आड़े आ रहा है। हिन्दुस्तान के पड़ताल में सामने आया कि बरेली के जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डाक्टरों के 36 पद हैं, जिसमें 23 रिक्त हैं। इसी तरह लखनऊ में 32 पदों पर 9, प्रयागराज में 39 पर 17, प्रतापगढ़ में 51 पदों पर महज 26 डॉक्टरों की तैनाती है। प्रदेश के अन्य जिलों के सरकारी अस्पतालों का भी लगभग यही हाल है। कानपुर में 59 पदों के सापेक्ष 9 और वाराणसी में तो 34 विशेषज्ञ डॉक्टरों के पदों के सापेक्ष सिर्फ 4 डाक्टर ही तैनात हैं।

विशेषज्ञ चिकित्सकों की तैनाती नहीं होने का सीधा असर मरीजों के इलाज पर पड़ रहा है। कई बार तो इलाज के दौरान मरीज की मौत होने पर भड़के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा तक कर दिया। बरेली की बात करें तो बीते तीन महीने में मरीजों की मौत पर नौ बार हंगामा हो चुका है। कई बार स्थिति ऐसी बनी कि डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ को अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस तक बुलानी पड़ी।

ऐसे हालात अब उत्पन्न न हों इसलिए बरेली के जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड के बाहर नोटिस लगा दिया गया है। नोटिस में लिखा है, इस अस्पताल में हृदयरोग विशेषज्ञ, मूत्र-गुर्दा रोग विशेषज्ञ, मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ और बाल शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्टर नहीं हैं। इसी तरह का नोटिस कासगंज जनपद के जिला अस्पताल में भी लगाया गया है। वहां चर्म रोग विशेषज्ञ, चेस्ट फिजिशियन, नाक-कान-गला रोग विशेषज्ञ, हृदयरोग विशेषज्ञ डाक्टर तैनात नहीं हैं।

बरेली में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के गेट पर लगी सूचना।

डॉक्टरों की तैनाती का हाल

जिला अस्पताल	स्वीकृत विशेषज्ञ	वर्तमान तैनाती	रिक्त पद
बरेली	36	23	13
लखनऊ	32	09	23
प्रयागराज	39	17	22
प्रतापगढ़	51	26	25
कानपुर	59	50	09
वाराणसी	34	04	30
मुरादाबाद	46	21	25
बांदा	27	15	12
उरई	27	15	12
गोरखपुर	44	21	23
मेरठ	58	27	31
बिजनौर	27	18	09
सहारनपुर	61	25	36
बुलंदशहर	12	08	04
शामली	50	25	25
बागपत	32	15	17
हापुड़	30	16	14

रेफरल यूनिट बनकर रह गए हैं सरकारी अस्पताल

विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जिला अस्पतालों से मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। अगर अकेले बरेली की बात करें तो यहां के जिला अस्पताल से हर माह सौ से अधिक मरीज रेफर किए जाते हैं। कमोबेश यही स्थिति प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों की भी है। साधन संशाधनों की कमी की बात हमेशा उठती रहती है पर अक्सर यह चिट्ठी पत्री तक ही सीमित रह जाती है। अब लखनऊ से उच्चाधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सरकारी अस्पताल में खाली पदों विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती कर दी जाएगी।

70 प्रतिशत विशेषज्ञ के पद प्रदेश भर में पड़े हैं रिक्त जिससे हो रही परेशानी

90 प्रतिशत अस्पतालों में मूत्र-गुर्दा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं हैं

■ **विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती न होने से संकट में पड़ जाती है मरीजों की जान**

बढ़ रहे हृदय रोगी, विशेषज्ञ डॉक्टर न होने से परेशानी

प्रदेश के अधिकांश जिलों में हृदयरोग विशेषज्ञ नहीं हैं, जबकि इससे संबंधित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकारी अस्पतालों में इलाज की पर्याप्त सुविधा नहीं होने से मरीजों को हायर सेंटर रेफर करना पड़ता है। दूसरी परेशानी चेस्ट फिजिशियन नहीं होने की वजह से है। वहीं, करीब 90 प्रतिशत अस्पतालों में मूत्र-गुर्दा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं हैं।

> कई जगहों पर डॉक्टरों की कमी है। जिलों से सूचनाएं एकत्र की जा रही हैं। उसी के हिसाब से प्रस्ताव तैयार कराए जा रहे हैं। जरूरत के हिसाब से जल्द ही डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाएगी।
>
> - डॉ. लिली सिंह, महानिदेशक-चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लखनऊ

सीबीआई जज को धमकी भरा पत्र

आसनसोल, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनुब्रत मंडल के मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश को एक पत्र मिला है। इस पत्र में मंडल को जल्द जमानत न दिए जाने की सूरत में उन्हें और उनके परिवार को ड्रग मामले में फंसाने की धमकी दी गई है। आसनसोल स्थित सीबीआई अदालत के न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने पश्चिम बर्धमान जिले के जिला न्यायाधीश को पत्र लिखकर उनके समक्ष मौजूद खतरे पर गौर फरमाने का अनुरोध किया है। न्यायमूर्ति ने पत्र में कहा है, 'बड़ी चिंता के साथ मैं आपको बप्पा चटर्जी नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस कोर्ट के प्रभारी के नाम लिखा एक पत्र भेज रहा हूं, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर अनुब्रत मंडल को रिहा नहीं किया गया तो मेरे परिवार के सदस्यों को फंसा दिया जाएगा।

गलगोटियाज नैक ए+ लेकर यूपी में अव्वल

ग्रेटर नोएडा, कार्यालय संवाददाता। हाल में गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को अपनी शैक्षणिक विशिष्टता के लिए 'नैक' (नेशनल असेसमेंट एंड एक्रिडिटेशन काउंसिल) द्वारा 4 में से 3.37 का उच्च स्कोर प्रदान किया गया। उच्चतम नैक स्कोर पाने वाली यह उत्तर प्रदेश की एकमात्र और देश में दूसरी राज्य निजी यूनिवर्सिटी बन गई है।

नैक द्वारा यूनिवर्सिटी को 'ए+' स्कोर प्रदान करने पर चांसलर सुनील गलगोटिया ने कहा, इस उपलब्धि का श्रेय हमारी फैकल्टी और एडवांस रिसर्च सिस्टम को जाता है, जिससे छात्रों को दुनिया की नामी कंपनियों में आकर्षक प्लेसमेंट पाने में मदद मिलती है।

देश 30s

राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर

नई दिल्ली। हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव की बेटी अंतरा ने मंगलवार को बताया कि उनके पिता की हालत स्थिर है। हालांकि, वह अब भी बेहोश हैं। डॉक्टर उनका इलाज कर रहे हैं। पिछले सप्ताह उनकी तबियत अधिक बिगड़ने के बीच पत्नी शिखा श्रीवास्तव ने कहा था कि उनके पति एक योद्धा हैं और हम सबके बीच वापसी करेंगे। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था।

टोमैटो फ्लू संक्रमण पर 48 घंटों के भीतर नमूने लें

नई दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों में टोमैटो फ्लू के बढ़ते मामलों के बीच राज्यों को उपचार एवं नमूनों की जांच को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें कहा गया है कि संक्रमण के 48 घंटों के भीतर आरटी-पीसीआर जांच के लिए नमूने एकत्र किए जाएं। हैंड, फूट एंड माउथ डिजीज (एचएफएमडी) का पहला मामला इसी साल 6 मई को केरल में पाया गया था।

मंत्री सचान को मिली जमानत, सजा में राहत नहीं

कानपुर। प्रदेश के कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट में सुनाई गई सजा से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। एमपी/एमएलए कोर्ट के जज (एडीजे 11) सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने सजा स्थगित करने की अर्जी को खारिज कर दिया है। हालांकि, सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई होने तक उनको 25-25 हजार की दो जमानत और बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत मिल गई।

घुसपैठ की कोशिश करते दो आतंकी ढेर

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सेना ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास आतंकवादियों के एक समूह की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी और इस दौरान दो आतंकवादी मारे गए। रक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि नौशेरा सेक्टर में सोमवार और मंगलवार की दरम्यानी रात को घुसपैठ करने का प्रयास किया गया।

मृतक आश्रितों को दूसरे विभागों में मिल सकेगी नौकरी

लखनऊ। मुख्यमंत्री के फैसले के बाद दूसरे विभागों के मृतक आश्रितों को अपने यहां नौकरी देने के लिए अन्य विभागों ने कार्मिक विभाग को राजमंदी दे दी है। पहले चरण में औद्योगिक विकास विभाग, वन पर्यावरण, राजस्व, चिकित्सा स्वास्थ्य और कृषि विभाग ने सहमति दी है। प्रदेश में कई विभाग ऐसे हैं जहां समूह 'ग' के पद खाली नहीं हैं। इसलिए पढ़े-लिखे आश्रित समूह 'घ' के पदों पर नौकरी करने को तैयार नहीं हैं।

मुख्यमंत्री की सुरक्षा में किया गया बदलाव

लखनऊ। प्रदेश सरकार ने पांच पुलिस अधिकारियों के मंगलवार को तबादले कर दिए हैं। इसमें मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात तीन अधिकारियों को स्थानांतरित किया गया है, वहीं दो अधिकारियों को तैनाती दी गई है। वाराणसी नगर के सहायक पुलिस आयुक्त नितेश प्रताप सिंह और अम्बेडकरनगर के डीएसपी अशोक कुमार सिंह-चतुर्थ को इसी पद पर मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनाती दी गई है।

बिजली अभियंताओं से मारपीट पर सजा होगी

लखनऊ। डाक्टरों की तरह बिजली इंजीनियरों को भी काम के दौरान मारपीट और तोड़फोड़ जैसी घटनाओं से बचाने के लिए प्रदेश सरकार कड़े कानून का प्राविधान करने की तैयारी में है। इसके लागू होने पर फील्ड में काम के दौरान इंजीनियरों तथा अन्य बिजली कर्मियों से दुर्व्यहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्राविधान है। मारपीट के गंभीर मामले गैर जमानती होने के साथ 10 साल तक की सजा का प्राविधान प्रस्तावित है।

बिहार विधानसभा अध्यक्ष का इस्तीफे से इनकार

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विशेष सत्र से ठीक एक दिन पहले मंगलवार को एलान कर दिया कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सत्तापक्ष की ओर से खुद के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को उन्होंने नियम विरुद्ध करार दिया। उन्होंने कहा कि सदन में सबसे पहले सरकारी कामकाज होंगे। उनका आशय यह है कि पहले महागठबंधन सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर चर्चा व वोटिंग होगी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दयानन्द बाल मन्दिर सुल्तानपुरा आगरा कैण्ट का एक पूर्व कर्मचारी स्वयं को विद्यालय का फर्जी प्रबंधक बताकर लोगों से विद्यालय में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे मांग रहा है। यदि कोई व्यक्ति उससे लेन-देन करता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा। विद्यालय प्रबंधन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। कोई भी जानकारी के किये निम्न नम्बरों पर सम्पर्क करें।

अध्यक्ष
प्रमोद कुमार गुप्ता
दयानन्द बाल विद्या मन्दिर सुल्तानपुरा आगरा

8191861100
9411627343

जहां नहीं, अब वहां भी पहुंचेगी भाजपा : धर्मपाल

बैठक

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मिशन-2024 का चुनावी खाका खींचने के साथ ही भाजपा ने उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। सूबे में सरकार रिपीट होने के बाद पार्टी अब संगठन को दुरुस्त करने में जुटी है। इसी मद्देनज़र भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल ने मंगलवार को अवध, कानपुर, काशी और गोरक्ष क्षेत्र के जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारियों संग बैठक की। उन्होंने कहा कि मिशन 2024 के लिए पार्टी संगठन ऐसे स्थानों पर भी पहुंच सुनिश्चित करेगा, जहां अभी उसकी पहुंच नहीं है।

भाजपा के राज्य मुख्यालय में हुई बैठक में धर्मपाल ने कहा कि यूपी में भाजपा संगठनात्मक दृष्टि से सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी और सर्वग्राही दल के रूप में ख्याति प्राप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश महामंत्री संगठन के रूप में सुनील बंसल के नेतृत्व में प्रदेश संगठन को नया आयाम मिला है। यह सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम और सहयोग से संभव हुआ है। कहा कि भाजपा संगठन के विस्तार का आधार कार्यकर्ता हैं। आप सभी अनुभवी हैं और संगठन की शक्ति हैं। आपके अनुभव और सहयोग से संगठन को मजबूती देने का काम जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में जीत के लक्ष्य को लेकर सभी को आगे बढ़ना है। उन्होंने पहले जिलाध्यक्षों और फिर जिला प्रभारियों संग परिचयात्मक बैठक की।

मोदी, शाह और योगी के नेतृत्व में जीते: बंसल

राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल ने कहा कि ऐसा नहीं है कि वर्ष 2013 से पहले भाजपा नहीं थी। पार्टी का संगठन मजबूत था। प्रदेश और केंद्र में हमारी सरकारें भी बनीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पार्टी को जीत हासिल हुई है। पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते हम सभी को जो भी टॉस्क नेतृत्व से मिलता है, उस भूमिका का हम सभी निर्वाह करते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्रदेव सिंह ने कहा कि भाजपा जैसा नेतृत्व और निष्ठावान कार्यकर्ता किसी दूसरे दल के पास नहीं हैं। कार्यकर्ताओं के बल पर ही पार्टी यहां तक पहुंची है।

डॉक्टर समय से ओपीडी में बैठें : योगी

निर्देश

लखनऊ, विशेष संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि बरसात के मौसम में अनेक बीमारियों का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। अस्पतालों में दैनिक ओपीडी के रिकार्ड बताते हैं कि वायरल, मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। डॉक्टर समय से ओपीडी में बैठें। कहीं से भी कोई शिकायत मिले तो तत्काल संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की जाए।

मुख्यमंत्री मंगलवार को लोकभवन में कोरोना संक्रमण की स्थिति और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे मुद्दे पर समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि तत्काल सभी सरकारी अस्पतालों, सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजों में दवाओं की उपलब्धता, डॉक्टरों की उपस्थिति, जांच उपकरणों की कार्यशीलता की जांच कर ली जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हाल के दिनों में गोवंश पर लम्पी वायरस का दुष्प्रभाव देखने को मिला है। इस संक्रमण के कारण कई राज्यों में व्यापक पशुधन हानि हुई है। प्रदेश में इसके प्रसार को रोकने के लिए मिशन मोड में काम करें।

बाहर निकलें तो लगाए मास्क: मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कोविड संक्रमण नियंत्रण में है लेकिन सतर्कता-सावधानी जरूरी, बाहर निकलें तो फेस मास्क जरूर लगाएं। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण के टीके की 'अमृत डोज' (बूस्टर-प्रिकॉशन डोज) दी जा रही है। साप्ताहिक वृहद बूस्टर डोज अभियान का आयोजन सफल हो रहा है।

पति-पत्नी के तबादलों के मामलों को दें वरीयता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए पीपीपी मॉडल पर अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने यह निर्देश मंगलवार को लोकभवन में उच्चस्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को दिए। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में तबादलों की विसंगतियों को जल्द दूर करने और पति-पत्नी के तबादलों के मामलों को वरीयता देने के निर्देश दिए हैं।

समन वास्ते करार दाद अमूर तनकीह तलबी आर्डर कायदा 1 व 5
न्यायालय श्रीमान सिविल जज (सी.डि.) आगरा
सूट नं0-1247/2021

श्रीमती सुनिता जैसवाल उर्फ सोनू अलग पुत्री स्व. राज कुमार जैसवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अलग निवासिनी-159-ए, न्यू (नोर्थ) विजय नगर कॉलोनी, आगरा। ...वादिया

बनाम

श्रीमती शालिनी पुत्री श्री एस.पी. यादव पत्नी स्व. श्री अमित जैसवाल निवासी-निकट पुराना ओल्ड होम गार्ड ऑफिस, सिविल लाइन्स, कोतवाली, जिला-मैनपुरी। ...प्रतिवादिया

हरगाह ने आपके नाम एक नालिश बाबत के दायर की है लिहाजा आपको हुक्म दिया जाता है कि आप व तारीख 08.09.2022/15.9.2022 ISS. वक्त 10:00 बजे दिन असलतन या मार्फत वकील के जो हालात मुकदमा से वाकई वाकिफ किया गया हो और जो कुल मुकदमा का जवाब दे सके या उसके साथ में कोई और शख्स हो जो कि ऐसे सवालों का जवाब दे सके, हाजिर हो और जवाब देही दावा की कर और आपको लाजिम है कि जुमला दस्तावेज का आप इसी रोज पेश करे जिन पर जवाबदेही के हस्तदलाल पेश करना चाहते हो- आपको इत्तिला दी जाती है कि अगर मजकूरा में हाजिर न हो तो आपकी गैर हाजरी में और फैसिल होगी। सिखत मेरे और मुहर अदालत में आज ब तारीख 23 माह 8 सन् 2022 ई. जारी किया गया। -जज

एडीए वीसी को शिकायतों के बाद हटाया

तबादले

लखनऊ, विशेष संवाददाता। राज्य सरकार ने मंगलवार की देर रात चार मुख्य विकास अधिकारियों समेत 13 आईएएस अफसरों के तबादले किए।

आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अजय कुमार द्विवेदी को शिकायतों के बाद हटाते हुए एपीसी ब्रांच में विशेष सचिव बनाया गया है। वह लखनऊ के नगर आयुक्त रह चुके हैं। दीक्षा जैन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरदोई से सीडीओ फिरोजाबाद, जुनैद अहमद ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बलिया से सीडीओ झांसी, गुंजन द्विवेदी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट देवरिया से सीडीओ कुशीनगर और अनुराज जैन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कानपुर नगर से सीडीओ अंबेडकरनगर बनाए गए हैं।

विपिन कुमार जैन सचिव उप्र भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार बोर्ड लखनऊ से विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म, जगदीश सचिव उत्तरप्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से स्थानांतरणाधीन विशेष सचिव आबकारी को अपर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कार्पोरेशन लखनऊ बनाया गया है। चर्चित गौड़ सीडीओ फिरोजाबाद को आगरा विकास प्राधिकरण का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। मधुसूदन नागराज हुल्गी उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण से विशेष सचिव एपीसी ब्रांच, शैलश कुमार सीडीओ झांसी से उपाध्यक्ष मुरादाबाद बनाए गए हैं।

Sea TV Network Ltd.
Regd. Office: 148, Manas Nagar, Shahganj, Agra-282010
Tel: +91-562-4036666 Fax: +91-562-4036666
Website: www.seatvnetwork.com
CIN : L92132UP2004PLC028650

NOTICE OF 18TH ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the 18th Annual General Meeting ("AGM") of the Company is scheduled to be held on Saturday, September 24th, 2022 at 03:30 P.M. Indian Standard Time ("IST"), through Video Conferencing/ other Audio Visual Means Facility in compliance with all the provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), the rules made there under and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations") and read with all circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") permitted to convening the Annual General Meeting ("AGM") through Video Conferencing ("VC") to transact the business mentioned in the Notice of AGM without the physical presence of the shareholders at the common venue.

Incompliance with the aforesaid circular, the AGM notice and the Annual Report of the company for the Financial year 2021-2022 will be sent by email to those shareholders whose email Id is registered with the company/Registrar and share Transfer Agent, Link Intime India Private Limited/Depository Participants. The said Annual Report including the notice of AGM is also available on the website of the company at www.seatvnetwork.com, and on the website of M/s Link Intime India Private Limited https://instavote.linkintime.co.in and on the website of the stock exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 ("Rules") and as per Regulation 44 (1) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with the Stock Exchanges, the Company is providing electronic voting ("e-Voting") facility to members to enable them to cast their votes on all the resolutions as set out in the notice of AGM by using an electronic voting system from a place other than the venue of the AGM (i.e. remote e voting). The company will also provide the facility of e voting to shareholders during the AGM, who have not cast their vote by remote e-voting. The company has entered into an arrangement with Link Intime for providing the remote e-voting and e-voting during an AGM.

In terms of section 91 of the act, rules made thereunder and regulations 42 of the SEBI (Listing obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (Listing regulation) that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 17th September 2022 to Saturday, 24th September 2022 (both days inclusive) for the purpose of the said AGM.

The Company has appointed Mr. Amit Gupta, Practicing Company Secretary as the scrutiniser to scrutinise the e-voting process in fair and transparent manner. The results of voting on the resolutions set out in the Notice of the AGM will be declared with 48 hours from the conclusion of the AGM. The results so declared along with the Scrutinizer's report shall be placed on the Company's website www.seatvnetwork.com and Link Intime's website https://instavote.linkintime.co.in.

In case shareholders/ members have any queries regarding e-voting, they may refer the Frequently Asked Questions ('FAQs') and InstaVote e-Voting manual available at https://instavote.linkintime.co.in, under Help section or send an email to enotices@linkintime.co.in or contact on: -Tel: 022 –4918 6000

Place : Agra
Date: 22nd August, 2022

By Order of the Board
For, Sea TV Network Ltd.
Sd/-
SNEHAL AGARWAL
(Company Secretary & Compliance Officer)

चीन सीमा पर अतिरिक्त बटालियन को मंजूरी में देरी

नई दिल्ली। चीन की ओर से सीमा पर लगातार दबाव बनाए रखने की रणनीति के बीच आईटीबीपी को अरुणाचल सीमा पर तुरंत अतिरिक्त बटालियन की जरूरत है। लेकिन उच्च स्तर पर प्रस्ताव लंबित होने से अतिरिक्त बटालियन को मंजूरी में देरी हो रही है।

सुरक्षा बल की ओर से सात बटालियन और एक सेक्टर हेड क्वार्टर का प्रस्ताव काफी पहले सरकार को भेजा गया था। इनमें से करीब 90 फीसदी जरूरत अरुणाचल के लिए है जबकि कुछ उत्तराखंड सीमा के लिए अवश्यकता बताई गई है। सूत्रों ने कहा कि अभी तक इसपर आखिरी मुहर नही लगी है। सूत्रों ने कहा कि यह उच्च स्तर पर विचाराधीन है, लेकिन इसे जल्द पूरा करने का दबाव है। ज्यादा देरी से सुरक्षा रणनीति प्रभावित होती है। गलवान घाटी की घटना के बाद से आईटीबीपी अपनी सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा करके इसे मजबूत बनाने में जुटी है।

सूत्रों ने कहा कि सीमा पर 47 नई बीओपी बनाने के प्रस्ताव के मद्देनजर नई बटालियन की जरूरत बताई गई है। अगर प्रस्ताव मंजूर होता है तो करीब दस हजार अतिरिक्त जवान आईटीबीपी को उपलब्ध होंगे। इससे चीन सीमा की निगरानी में काफी मदद मिलेगी। सूत्रों ने कहा कि आईटीबीपी को बताया गया था कि अतिरिक्त बटालियन सहित अत्याधुनिक तरीके से निगरानी और अन्य सुरक्षा उपायों को जल्द लागू करने की रणनीति के मद्देनजर प्रस्ताव जल्द स्वीकार होगा। गौरतलब है कि चीन के साथ सीमा पर तनाव कम नहीं हुआ है।